

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मानो लाल विपक्षी गोपाल
 किसम मुकदमा 53-188 RT Act पत्रावली संख्या 04 सन् 23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
8/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवादी उप। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 7 से 9 को भावों दिलवाई गयी। कावकुद सूचना अकतक अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 6 को त दोन से वारिस काम मी नहीं करवाई। आवश्यक रूप से करीबी पत्रावली वास्तव वारिस काम मी दिनांक 10/12/24 को पेश हो।</p>	
	<p>10/12/24 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा रिक्त काम मी</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>सन: 09/01/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>4/2/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>4/2/25 पत्रावली पेश 3... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रिपॉ: उपस्थित/पीठांगी अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/निरि में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना। संक. <u>20/2/25</u> को पेश हो। B/0 5</p>	
	<p>20/2/25 आज दिनांक की दार एसोसियेशन मावली के कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक... <u>24/4/25</u> को पेश हो। B/0 5</p>	
	<p>24/4/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वा रिक्त काम मी</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>सन: 09/01/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>5/6/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	



5/6/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा. कायम
 के लिबे मौका चाहते है। अतः 28/8/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 3/7/25
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

3/7/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 28/8/25 को पेश हो।
 13/0
 5

28/8/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
 वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी
 को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय
 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता
 अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण
 वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। अधिवक्ता
 वादी को वारिस कायमी हेतु लगभग 2 वर्ष से अधिक
 का समय दिया जा चुका है परन्तु वादी द्वारा कुछ
 तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट
 जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग
 नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह
 रहे हैं। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता
 अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं
 वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अहम
 हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।
 निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
 (SDO) मावली
 जिला (0112)